राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक एफ 6(9) / चि0शि0 / ग्रुप-1 / 2013 / जयपुर, दिनांक 21/5/14

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर / उदयपुर।

पुलिस आयुक्त,
जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
जयपुर / जयपुर ग्रामीण / उदयपुर।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज, जयपुर / उदयपुर।

विषय :– राज्य के निजी मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी हेतु पर्यवेक्षक दल की नियुक्ति बाबत।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक दिनांक 31 मार्च, 2014.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु राज्य के निजी मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी। निजी मेडिकल यू.जी कोर्सेज में प्रवेश के लिए वर्तमान में प्रभावी प्रावधान, निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों में उनके अधीन संचालित कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रभावी प्रावधान एवं निजी महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में दिए गए निर्देशें एवं प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार विधिक स्थिति के अनुसार राज्य में केवल दो ही प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। अतः आगामी सत्र 2014–15 के लिए निजी महाविद्यालयों की ओर से केवल एक ही प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। अतः कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में निजी महाविद्यालयों की एसोसिएशन **'फेडरेशन ऑफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कॉलेजेज ऑफ राजस्थान'** के द्वारा ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में लिए गये निर्णय बिन्दु संख्या–3 (संलग्न) में विचार विमर्श उपरान्त यह तय किया गया कि प्रवेश प्रक्रिया पर निगरानी हेतु जिला प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षक दल गठित किया जावे जिसमें – 1.जिला प्रशासन का प्रतिनिधि जो कि न्यूनतम उपखण्ड अधिकारी के स्तर का हो। 2. जिला पुलिस प्रशासन का अधिकारी जो कि न्यूनतम निरीक्षक के स्तर का हो।, 3. प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधि जो कि न्यूनतम उप निदेशक / सह आचार्य के स्तर का हो। 4.एक अन्य व्यक्ति, उपरोक्त सदस्यों की सलाह पर। इसरानी कमेटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न किये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में विभाग की ओर से निम्न को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित संस्थान हेतु मनोनित किया जाता है –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम / पद नाम	संस्था
1	डॉ0 एस.पी. सिंह, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साईन्सेज एण्ड टैक्लोलोजी, जयपुर।
2	डॉ0 सुनील भटनागर, विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग	पैसिफिक चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर।
3	डॉ0 अवतार सिंह दुआ, अति0 निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर।
4	डॉ0 सुरेश चन्द सोनी, उप निदेशक (एकेडमीक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	गीतांजली यूनिवर्सिटी, उदयपुर।

उपरोक्त मनोनीत सदस्यों से अपेक्षा है कि वे जिला प्रशासन एवं प्रधानाचार्य से आवश्यक समन्वयन कर शीघ्र पर्यवेक्षक दल गठित कर समस्त प्रवेश परीक्षाओं हेतु इसरानी कमेटी के निर्णय अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करावें तथा नियमित रूप से रिपोर्ट प्रेषित कर विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

21.05.'14

(डॉ0 एस0 पी0 सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 6(9)/चि0शि0/ग्रुप–1/2013/ जयपुर, दिनांक 21/5/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर/जयपुर ग्रामीण/उदयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
6. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड टैक्नोलोजी, जयपुर/पैसिफिक चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर/निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर/गीतांजली यूनिवर्सिटी, उदयपुर।
8. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी